ाय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ा अधिकारी :- रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

नम्बर 404 / 2025 प्रार्थनापत्र

ी सुखलाल पुत्र एकलिंग बलाई आयुवयस्क निवासी- बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
———— प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
———— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

ा :-
मनोहरलाल सेन ——अधिवक्ता प्रार्थी
कार सरकार ———— उपस्थित

:: निर्णय :: दिनांक- 09.03.2026

प्रार्थी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा- 251-ए राज0 टिनेन्सी के तहत प्रस्तुत कर सरहद बैमाली पटवार हल्का बैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली ा करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात आराजी के खाता सख्या 1196 के आराजी नम्बर 4215 / 145, कुल किता 01 रकबा 0.5059 र भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी का एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि सरकारी रास्ता आराजी नम्बर 145 जो कि बिलानाम होकर अपनी प्रार्थनापत्र की संख्या 01 मे वर्णित आराजी नम्बर 4215 / 145, कुल किता 01 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि मे जाता जाता है। जिसमे से 30 फीट चौडाई का रास्ते को राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कराया जावे।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस ा होने के पश्चात प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थी की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से ई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो ोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य ोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट नुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद बैमाली पटवार हल्का बैमाली भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बैमाली ल करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि आराजियात के आराजी के खाता सख्या 1196 के आराजी नम्बर 4215 / 145, कुल किता 01 रकबा 0.5059 र भूमि दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 145 विपक्षी के नाम दर्ज रेकार्ड है , मौके पर वर्तमान मे आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा गया रास्ता बिलानाम आराजी नम्बर 145 मे से जो कि निकटतम रास्ता है। रास्ते के रूप मे 0. हैक्टयर भूमि आती है, रास्ते मे ली जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य डी.एल.सी. रेट की दुगुनी जो विपक्षी को देय है, प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

मैने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , के खाता सख्या 1196 के आराजी नम्बर 4215 / 145 कुल किता 01 रकबा 0.5059 हैक्टयर भूमि ने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 145 रकबा 0.4300 हैक्टयर मे से 0.1235 हैक्टयर भूमि

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

ता दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र कार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद बैमाली पटवार हल्का बैमाली भू अभिलेख निरीक्षक बैमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार की कृषि ाजियात जिसके आराजी के खाता सख्या 1196 के आराजी नम्बर 4215/145, कुल किता 01 वा 0.5059 हैक्टयर भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी नम्बर 145 रकबा 0.4300 हैक्टयर से 5.49 मीटर चौडाई (18फीट) यानी 0.01235 हैक्टयर भुमि के रूप मे कृषि कार्य हेतु आने जाने रास्ता दिया जाना स्वीकार किया जाता है तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे सार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली आराजी नम्बर 145 रकबा 0.4300 हैक्टयर मे से 0.1235 हैक्टयर भुमि जिसकी हैक्टयर मे ना कर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा मूल्य प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को पूर्ति हेतु अदा की जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर ना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)